

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/

104

दिनांक - 21.1.19

प्रार्थी
1 किरताराम 2 दीपाराम
पिसरान नारणाराम जाति
जाट निवासी फूसाणियों
का तला, जाखड़ों की
ढाणी तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण
1 चूनाराम पुत्र जेताराम 2 मूलाराम पुत्र गोमाराम 3 भोमाराम
पुत्र चिमाराम 4 किशनाराम पुत्र मालाराम 5 रामाराम 6
पूर्णाराम पिसरान गगाराम 7 अणदाराम 8 भंवराराम पिसरान
दुर्गाराम 9 हेमी पत्नी गिरधारी 10 पूरो पत्नी दुर्गाराम 11
विरधाराम पुत्र भेसाराम 12 पदमाराम पुत्र सुरताराम जाति जाट
13 रतनाराम पुत्र सोनाराम निवासी फूसाणियों का तला,
जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-88/2018

दिनांक- 21.01.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा फूसाणियों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 79 रकबा 202.02 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 29.08 बीघा व खसरा संख्या 78 रकबा 0.04 बीघा कुल रकबा 231.14 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



क्रमांक :- रीडर/2019/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. किरताराम पुत्र नारणाराम वगैराह जाति जाट निवासी फूसाणियों का तला, जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी चूनाराम पुत्र जेताराम वगैराह जाति जाट निवासी फूसाणियों का तला, जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 21.1.19

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर